

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)**--:: विविध आदेश ::--**

क्रमांक: 12 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 18 जनवरी, 2021

**विषय :-** दिनांक 18.01.2021 से अन्य आदेश तक न्यायालयों में होने वाली सुनवाई बाबत।

**संदर्भ :-** माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जारी मानक सुनवाई प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2021।

.....000.....

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर से जारी संदर्भित परिपत्र के अनुपालन में मैं, एल0डी0 बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा दिनांक 18.01.2021 से माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले अन्यथा निर्देश और अन्य आदेश तक के लिए जिला न्यायालय पूर्व निमाड खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप-तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण, न्यायिक कर्मचारीगण, पुलिस विभाग से अनिवार्यतः पालन की अपेक्षा करते हुए नियमित भौतिक सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार वी0सी0 के माध्यम से भी सुनवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश-आदेश जारी करता हूँ कि :-

(1) प्रत्येक न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयानुसार कार्यरत रहेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक न्यायालय द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में उतने की प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जावें, जिनमें कि सुनवाई सुनिश्चित की जा सकें और अनावश्यक भीड़ न रहे। यह व्यवस्था लॉकडाउन/शटडाउन या कंटेनमेंट क्षेत्र वाले स्थान को छोड़कर प्रभावशील रहेगी। **(प्रत्येक कार्य दिवस के लिये कार्ययोजना का उल्लेख आगे किया जा रहा है)**

(2) प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश एवं न्यायालय में पदस्थ तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा संदर्भित आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

(3) प्रत्येक न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्य दिवस हेतु सुनवाई के लिये जाने वाले प्रकरणों की कॉजलिस्ट प्रत्येक दिवस स्क्रीन पर निरन्तर दिखाई जावेगी, आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऐसी कॉजलिस्ट न्यायालय में सूचना पटल पर चस्पा की जा सकेगी। यह प्रयास किया जावें कि आगामी कार्य दिवस में सुनवाई हेतु नियत मामलों की कॉजलिस्ट वर्तमान में प्रभावशील व्यवस्था को निरन्तर रखते हुए एक दिन पूर्व शाम 4.00 बजे से ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगे, पक्षकार और उनके विद्वान अभिभाषक के ज्ञात मोबाइल नंबर भी यथासंभव सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जावें।

(4) न्यायालयीन अभिलेख/आदेश पत्रिका/कथन पत्रिका में पक्षकारों, गवाहों तथा योग्य अभिभाषकगण के हस्ताक्षर लिये जाने की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी अर्थात् जहां किसी नियम या विधि में आज्ञापक हो, तभी ऐसे हस्ताक्षर लिये जा सकेंगे।

(5) जब तक विशेष रूप से निर्दिष्ट/न्यायालयीन आदेश अनुसार अनिवार्यता न हो, तब तक कारागार में निरूद्ध अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मान्य की जावे। प्रथम बार के पुलिस/न्यायिक रिमाण्ड को छोड़कर आगामी प्रत्येक रिमाण्ड हेतु अभियुक्त की उपस्थिति न्यायिक कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनिश्चित की जावे। **(यदि कोई अभियुक्त पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा**

में है, तब उस दशा में किसी भी प्रकार की अभिरक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष प्रोडक्शन वारंट से ऐसे अभियुक्त को बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी)

(6) सभी न्यायाधीशगण का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे समन की सामान्य तामीली के साथ ही सीआईएस एनसी 3.2 में समन के संबंध में दी गई सुविधा SMS का भी अधिकाधिक प्रयोग करें।

(7) न्यायालय परिसर में उपस्थित अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण और अन्य हितग्राही आदि ही सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हों। (इस हेतु गठित समिति के सभी सदस्य इस पर सतत निगरानी और नियंत्रण रखेंगे, ऐसा करने के लिए वे हरसंभव उपाय करेंगे और आवश्यकतानुसार ऐसे उपाय करने और उसकी आवश्यकता होने की जानकारी जिला न्यायाधीश को अविलंब देंगे)

(8) ऐसे न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण एवं उनके लिपिकवर्गीय कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें कि क्वारंटाईन/आइसोलेट रहने के लिए निर्देश हैं; वे न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। यहां तक कि इनमें से कोई भी किसी प्रकार के फ्लू/फीवर से ग्रसित है तो न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण इसकी सूचना जिला न्यायाधीश को तथा अभिभाषकगण अपने संघ के अध्यक्ष, सचिव को और वे भी इसकी सूचना जिला न्यायाधीश को देंगे।

(9) न्यायालय परिसर में शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं में पाया जावेगा, तो वह केन्द्र/राज्य सरकार के सुसंगत कानून/दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियोजन/सजा हेतु उत्तरदायी रहेगा।

(10) न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण एवं उनके लिपिकवर्गीय कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्ति निर्धारित फेस मास्क पहनेंगे या फेस (नाक, मुंह) को ढंककर रखेंगे। संबंधित प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष/सचिव/गठित समिति के सदस्य ऐसा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(11) (अ) न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण परिसर के गेट क्रमांक-3 से तथा अभिभाषकगण के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्ति गेट क्रमांक-1 से प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार क्रमांक-1 पर न्यायालयीन कर्मचारी थर्मल स्कैनर, सेनेटाईजर से सुसज्जित रहेंगे, थर्मल स्कैनर और सेनेटाईजर का आवश्यक उपयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति पाये जाने पर तत्काल प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करेंगे, वे उसे नोटशीट पर लेंगे और प्रभारी अधिकारी, नजारत/विशेष न्यायाधीश के माध्यम से जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(ब) अभिभाषक संघ खण्डवा के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय से अपेक्षित है कि न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले अभिभाषकगण तथा उनके लिपिक/मुंशी (जो कि पंजीकृत हैं) के थर्मल स्कैनर से जांच की व्यवस्था करेंगे और वे ही यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी न्यायालय परिसर में कार्य हेतु उपस्थित रहने के योग्य हैं अथवा नहीं। जांच में प्रतिकूल परिणाम की दशा में उन्हें परिसर में उपस्थित न रहने दिया जाये; इसकी सूचना भी प्रभारी अधिकारी, नजारत को तत्काल दी जाये।

- (स) न्यायालय परिसर में स्थित न्यायालय भवन के निर्धारित स्थान पर वॉश बेसिन की व्यवस्था लिक्विड सोप के साथ की गई है। अतः जहां किसी भी न्यायालय में प्रवेश की आवश्यकता हो तो पक्षकार, साक्षीगण आदि प्रवेश के पूर्व ऐसे वॉश बेसिन का उपयोग करते हुए अपने हाथों को अच्छी तरह से धोयेंगे, तत्पश्चात् न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे।
- (द) सभी न्यायालयीन कर्मचारी, अभिभाषकगण अपने-अपने स्थान पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्वयं भी संक्रमण से बचाव के उपाय द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनसे किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलने की संभावना नहीं है। आवश्यकतानुसार चिकित्सा विभाग के उपलब्ध/उपस्थित कर्मचारी भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त सभी व्यक्तियों की यथोचित जांच सुनिश्चित करेंगे।
- (इ) प्रत्येक न्यायालय कक्ष के भीतर सुनवाई के दौरान आवश्यकतानुसार मात्र दोनों पक्षकार और उनके योग्य अभिभाषक **(संबंधित प्रकरण की स्वयं द्वारा संधारित नस्ती, अभिलेख के साथ)**, जिन्हें कि अपना पक्ष प्रस्तुत करना है, बतौर साक्षी स्वयं का परीक्षण करना है, वे ही उपस्थित होंगे और उस मामले की सुनवाई के दौरान अन्य मामलों की सुनवाई का इंतजार कर रहे पक्षकार और उनके योग्य अभिभाषक तब तक न्यायालय कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि पहले वाले प्रकरण की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती है। यहां तक कि एक मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद और दूसरे मामले की सुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व न्यायालय कक्ष में आवश्यक सेनेटाईजेशन हेतु कम से कम 2 मिनट का अंतराल रखा जावेगा। **(प्रत्येक न्यायालय द्वारा संबंधित प्रकरण का अभिलेख/नस्ती (फाईल) किसी पक्षकार/साक्षी अथवा उनके योग्य अभिभाषक को उपयोग/परिशीलन के लिये प्रभावशील विधि/नियम अनुसार न्यायिक आदेश के बिना नहीं दी जा सकेगी)**
- (फ) न्यायालयीन अवकाश दिवस में अत्यावश्यक कार्य हेतु कार्य करने वाले रिमांड कोर्ट के न्यायालयीन कार्य के समय में भी उक्तानुसार व्यवस्था प्रभावशील रहेगी।
- (12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कफर्यू/लाकडाउन/कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किये जाने की दशा में ऐसे क्षेत्रों के न्यायालय में नियमित सुनवाई नहीं की जा सकेगी। यद्यपि ऐसे स्थानों में अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय की ओर भी प्रेषित की जावेगी।
- (13) (अ) न्यायालय परिसर में मात्र ऐसे पक्षकारों और उनके अधिवक्तागण को ही प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, जिनके कि प्रकरण सुनवाई हेतु अधिसूचित, सूचीबद्ध किये गये हैं और इनके प्रवेश हेतु प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग के द्वारा न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर स्कैनर और सेनेटाईजर के समुचित उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावेगी।
- (ब) ऐसे अभिभाषकगण, जिन्हें कि नोटरी और शपथ आयुक्त का कार्य न्यायालय परिसर में निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, तो अनावश्यक भीड़ न हो, इसलिए वे अपने इस कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 से 11.30, फिर दोपहर 02 से 02.30 तक, सायंकाल 04.00 से 05.00 बजे तक की अवधि में अपने इस कार्य का निष्पादन करेंगे, किन्तु इस कार्य के लिए न्यायालय परिसर में वे ही पक्षकार/व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे; जिनके कि पास संबंधित नोटरी, शपथ

आयुक्त के द्वारा दिया गया एसएमएस या व्हाट्सएप पाया जावेगा।

- (14) न्यायालय परिसर में स्थित रेस्टोरेंट, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी, न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार के आस-पास भी ऐसे सब व्यावसायिक स्थल बन्द रखे जावेंगे। यदि ऐसे कोई भी व्यावसायिक स्थल खुले रहे और अनावश्यक भीड़भाड़ पाई गई अर्थात् कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रभावशील आवश्यक दिशा-निर्देश का उल्लंघन होने की दशा में ऐसे व्यावसायिक स्थल के स्वामी या व्यावसायी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। 1
- (15) (अ) अभिभाषक संघ के कक्ष में भी अनावश्यक प्रवेश, अभिभाषकगण के प्रत्येक बैठने के स्थान पर पक्षकारों की भीड़ पर नियंत्रण, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी के द्वारा रखा जावेगा। इस हेतु गठित समिति के द्वारा भी समय-समय पर आवश्यक उपाय किये जावेंगे।
- (ब) कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का सम्यक रूप से पालन करते हुए अभिभाषक कक्ष, अभिभाषक चेंबर, लाइब्रेरी को खुला रखा जा सकता है। अध्यक्ष, सचिव अभिभाषक संघ यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में आवश्यक सेनीटाईजेशन करवाया जावे एवं कक्ष में सीमित अभिभाषकों की ही उपस्थिति रहे।
- (16) न्यायालय परिसर में आवश्यकतानुसार सेनेटाईजेशन, स्वच्छता नगर पालिक निगम तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्य जिला चिकित्सालय, खण्डवा की सहायता से सुनिश्चित किया जावे। मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालय, भवन के गलियारों में आवश्यकतानुसार हेण्डवॉश, सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे, जिससे कि किसी भी पक्षकार, व्यक्ति का न्यायालय कक्ष में प्रवेश नियंत्रित और संक्रमण रहित हो सकें।
- (17) न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण व अन्य हितग्राही आदि न्यायालय परिसर में सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय परिसर में कुर्सी/बेंचेस लगाई जावे। कर्मचारीगण भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने बैठने का स्थान सुनिश्चित करें।
- (18) न्यायालय परिसर में स्थापित डिस्टले बोर्ड, सूचना एवं सुविधा के लिए संचालित रखे जायेंगे।
- (19) प्रत्येक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय एवं प्रकरणों में आगे नियत की गई तिथियों की जानकारी अविलंब जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जावे।
- (20) (अ) राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, पक्षकारों, साक्षियों, योग्य अभिभाषकगण/वरिष्ठ अभिभाषकगण से अनुरोध है कि जब तक कोविड-19 के संक्रमण से बचाव रखते हुए न्यायालयीन कार्य का निष्पादन होना है, तब तक वे कृपया न्यायालय में प्रवेश नहीं करें, न्यायालय में उपस्थित रहने से स्वयं को बचायें, इससे कठोरतापूर्वक परहेज करें। (जहां अनिवार्य आवश्यकता हो, न्यायालयीन आदेश हो, तभी संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए ही सीधे न्यायालय में, निर्धारित समय पर प्रवेश करें और कार्यवाही पूर्णता उपरांत न्यायालय परिसर से निर्गम करें)
- (ब) इस आयु वाले अथवा अधिक आयु वाले अभिभाषकगण चाहे तो वे जिम्सी/विडियो एप/गूगल मीट्स या अन्य मैसेजर संचार माध्यम से संबंधित न्यायालय से जुड़कर अपने निवास स्थान या कार्यालय से ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

(21) न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के भोज आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अनुमति नहीं रहेगी। (राष्ट्रीय महत्व के आयोजन जैसे झण्डावंदन आदि नियमानुसार, संक्रमण से बचाव के सभी उपाय के अधीन किये जा सकेंगे)

(22) यदि कोई अभिभाषक या पक्षकार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध म0प्र0 राज्य अधिवक्ता संघ एवं संबंधित अधिवक्ता संघ तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 को यथोचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जावेगा।

(23) दिशा-निर्देश, आदेश पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन अभिभाषक संघ, खण्डवा के अध्यक्ष और सचिव की सहमति से किया जाता है कि :-

- (1) वरिष्ठ न्यायाधीश :- श्री पी.सी. आर्य, विशेष न्यायाधीश
- (2) अभिभाषक संघ द्वारा नामित अभिभाषक:- श्री लखन मण्डलोई, अधिवक्ता
- (3) जिला न्यायालय के कर्मचारी :- श्री आर.के. शर्मा, उप-प्रशासनिक अधिकारी

तहसील मुख्यालय हरसूद, पुनासा, मांधाता (ओंकारेश्वर) हेतु संदर्भित परिपत्र के पालन में ऐसी समिति का गठन ऐसे स्थान पर कार्यरत्/वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार से यथावत रहेगा।

(24) इस विविध आदेश की कंडिका-01 (उपरोक्त) के अनुसार सिविल एवं दांडिक मामलों में सुनवाई की कार्य व्यवस्था निम्नानुसार रखी जा सकेगी :-

- (i) पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण प्राथमिकता के तौर पर सुनवाई में लिये जायेंगे, ऐसे प्रकरण समाप्त होने पर तीन वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण, अंत में इस अवधि से पूर्व के प्रकरणों में सुनवाई की जावेगी।
- (ii) विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, जमानत एवं सुपुर्दगी संबंधी, संक्षिप्त विचारण, समन विचारण के प्रकरण को सुनवाई में प्राथमिकता दी जावेगी।
- (iii) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम, धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम, दांडिक अपील, पुनरीक्षण याचिक (दांडिक), महिलाओं और वृद्धजनों से संबंधित प्रकरण (जिनमें वे फरियादी हो) को नियमित सुनवाई में रखा जावेगा।
- (iv) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, पारिवारिक (वैवाहिक) विवाद, सिविल अपील, सिविल विविध अपील, मोटर दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति प्रकरण नियमित सुनवाई में लिये जावेंगे।
- (v) यथासंभव उतने ही साक्षियों को प्रत्येक दिवस बुलाया जायें, जितने साक्षियों का परीक्षण 11.00 बजे से 02.00 बजे के मध्य सहजता व सरलता से पूर्ण किया जा सकें, जिससे कि चायकाल उपरांत अन्य विविध कार्य पूर्ण किये जा सकें।
- (vi) दांडिक मामलों के अभियोगपत्र, केस डायरी, परिवाद आधारित प्रकरण प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 01.30 बजे तक पेश करना सुनिश्चित किया जावे।
- (vii) ऐसे सिविल वाद, जिनमें अत्यावश्यक एवं तात्कालिक अनुतोष की आवश्यकता है, ऐसे आवेदनपत्र भी प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 01.30 बजे तक पेश करना सुनिश्चित किया जावें।
- (viii) सभी प्रकार के जमानत आवेदनपत्र, सुपुर्दगी आवेदनपत्र भी प्रत्येक कार्य

दिवस में अधिकतम 01.30 बजे तक पेश करना सुनिश्चित किया जावे।

(ix) ऐसे सिविल मामलों के पक्षकार, साक्षी, जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है और वे न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, तो उनका परीक्षण आयोग जारी करके सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित न्यायालय निर्धारित पेनल के योग्य अभिभाषक की नियुक्ति कर सकेंगे।

(25) इस विविध आदेश की कंडिका-01 (उपरोक्त) के अनुसार सिविल एवं दांडिक मामलों की सुनवाई हेतु ऐसे मामले न्यायालयों के द्वारा निम्नानुसार कार्य योजना के अधीन नियत किये जा सकते हैं :-

(अ) ऐसे मामले जो कंडिका-24 में शामिल नहीं किये गये हैं, उन सभी मामलों को 01 जुलाई, 2021 से आगे सुविधानुसार जितने मामलों में प्रत्येक कार्य दिवस में दौरान सुनवाई की जा सकती है, उतने की प्रकरण नियत किये जावें। (ऐसा किये जाने से हमें प्राथमिकता आधारित मामलों के अंतिम निराकरण हेतु पर्याप्त समय सहजता से उपलब्ध हो सकेगा तथापि प्रशिक्षु सिविल जज को इस आदेश के पालन से छूट रहेगी)

(26) प्रत्येक न्यायालय में ड्राप बॉक्स/नस्ती ट्रे रखी जावे, जिससे कि न्यायालय के समक्ष सीधे पेश किये जाने वाले आवेदनपत्र/मामले/जवाबदावा/प्रतिदावा/शपथपत्र आदि सीधे प्रस्तुतकार को न देते हुए उसमें डाले/रखें जा सकें और संक्रमण से बचाव के यथासंभव उपाय करते हुए उन्हें कार्यवाही में शामिल किया जा सकें।

(27) प्रत्येक न्यायालय के पर्याप्त संख्या में वाटर स्टेण्ड उपलब्ध कराये जायें, जिससे कि अभिलेख देखने और पृष्ठों को पलटने में सरलता व संक्रमण से बचाव हो सकें।

(28) फाईलिंग काउंटर पर पेश किये जाने वाले प्रत्येक दांडिक मामलों/इशतगासा के अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रलेख प्रमाण/परिवादपत्र प्रस्तुति के पूर्व संबंधित पुलिस थाना के द्वारा भी उन्हें संक्रमण मुक्त किया जावे और भारसाधक अधिकारी का यह प्रमाण-पत्र पृथक से पेश किया जावे कि-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि अभियोगपत्र व प्रलेख प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुति के पूर्व उसे निर्धारित रीति से संक्रमण मुक्त किया गया है।”

व मोहर

हस्ताक्षर

(29) किसी पक्षकार अथवा उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवादपत्र, सभी प्रकार के सिविल मामलों भी फाईलिंग काउंटर पर पेश किये जाने के पूर्व उनके द्वारा ऐसे मामलों के पेश किये जाने वाले अभिलेख को संक्रमण मुक्त किया जावे अर्थात् यथोचित रीति से सेनेटाईज करने के बाद प्रस्तुत किया जावे।

(30) जो भी नये मामलों किसी भी प्रकार के प्रथम बार न्यायालय में पेश होते/लाये जाते हैं, उनके संपूर्ण अभिलेख को न्यायालय कक्ष की एक पृथक आलमारी में ही कम से कम 10 दिवस रखा जाये, उसके बाद ही उन अभिलेखों को पूर्व से रखे गये अभिलेख में नियमानुसार शामिल किया जायें।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र.

सही-

(एल0डी0 बोरसी)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)


पृष्ठांक 134/को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 18 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि :-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप-प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र।

  
18/01/2021  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म0प्र0)

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR****// SOP FOR SUBORDINATE COURTS //**No./ A/113/

Jabalpur dated 15/01/2021

The High Court of M.P. has been pleased to issue directions to start regular physical functioning in the Subordinate Courts including Family Courts in respect of all category of cases w.e.f. 18.01.2021.

- (1) All types of cases will be taken up by the Courts subject to the directions issued by the District & Sessions Judge.
- (2) The District & Sessions Judge will have discretion to regulate the physical functioning in the Court including the nature and categories of cases, number of cases and timings of sitting of Judges depending upon the prevailing circumstances and effect of Covid-19 in the concerned district.
- (3) Depending upon the seriousness of Covid-19 effect, the District & Sessions Judge will have an option to switch to limited virtual hearing through video conferencing/mixed functioning through physical mode and video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants.
- (4) The District & Sessions Judges will take immediate steps for installing the plastic curtain between the Judges/Reader, Staff AND Advocates/ litigants in each functional court room.



- (5) The District & Sessions Judge will ensure the publication of daily cause list showing the matter listed before different courts and the court concerned will take up the cases as per serial order in the daily cause list. The cause list will also disclose the cases to be taken up in pre-lunch session and post-lunch session.
- (6) The courts shall usually function as per timings of the courts specified in Rules and Orders, except at places where lockdown/shutdown is imposed or containment zone declared by the competent authority.
- (7) The appearance/attendance of litigants, witnesses or Advocates shall be recorded by the courts in order sheets of the court files, and their signatures would not be taken on order sheet, statements (Except where law requires) to prevent the spread of Corona virus, till further orders.
- (8) Production of the accused before the court may be, unless specifically directed otherwise for any reason, accepted by video conferencing. However, the accused shall be required to be produced before the Magistrate for remand in the first instance. But, subsequent remand may be granted by video conferencing.
- (9) All the Judicial Officers are hereby impressed upon for the use of service of summons through the message by using the facility in the Software CIS NC 3.2 in addition to normal mode of service, which has been provided for in order to facilitate service of summons.

- (10) District & Sessions Judges at District Headquarters and outlying stations shall ensure that all precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises are taken and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.
- (11) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are quarantined/isolated shall be prohibited for entering in the court premises.
- (12) Persons consuming liquor, pan, gutkha or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.
- (13) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover, covering nose and mouth (including at the time of argument and tendering evidence). Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter/present in the court premises without wearing proper face mask.
- (14) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons as per the directions issued by the Central/State Government.

- (15) Any person having fever and flu or alike symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.
- (16) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association with intimation to the District Judge.
- (17) Working of the Subordinate Courts / Family Courts in the State shall remain suspended in areas where curfew / lockdown / containment area has been declared by the competent authority. However, the court shall take up urgent matters and the intimation of the situation be communicated to the High Court.
- (18) Only such litigant(s) and their counsel shall be permitted to enter the court premises where case(s) is/are notified and listed. The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to ensure the restricted entry into the court premises only of the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.
- (19) Canteen, photocopy shops situated within the court premises shall remain closed to prevent crowding.
- (20) Bar Rooms, Advocates' Chamber, Bar Library shall remain open subject to adherence of all the safety norms. The Bar President shall

observe safety norms and ensure sanitization as well as limited entry through the Bar Room(s) to prevent crowding.

- (21) Proper sanitization of entire premises i.e. Court Rooms, chamber of Presiding Officer, offices, toilets and place of common use must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors to ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without hand wash/hand sanitizer.
- (22) The District Judges should ensure installation of adequate numbers of wash basins in addition to arrangement of sanitizer so that the visitors/lawyers/staffs can properly sanitize their hands before entering the Court premises/complexes.
- (23) Entry in the court room shall be permitted to those Advocates/litigants whose matter is called out for hearing. Rest of the Advocates shall wait outside the court room or designated area for their turn, maintaining social distancing norms.
- (24) It shall be ensured that social distancing is maintained in the court premises or court rooms by all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders. In no case at a time more than 10 persons (advocate / witness / party / accused) (subject to availability of space) will be allowed in a Court Room. Entry of number of persons in the Court Room will be as per the instructions issued by the concerning District Judge, keeping in view the space available in the Court Room. Cases shall be heard consecutively i.e.

one by one and a break of 2 minutes shall be given for proper sanitization before starting hearing of new case.

- (25) The Chairs/Benches in the Court Hall should be suitably arranged keeping in mind the social distancing norms. The sitting arrangement of staff in the Court and Offices shall also be made compliant to social distancing norms.
- (26) At no circumstances the Court Hall or Court Varanda / common passages / corridors or Court premises shall be crowded. Congregation in any form is to be prevented.
- (27) The display boards shall be functional and the cause list be displayed for convenience and information to all stakeholders.
- (28) Orders/Judgments passed by the Court and next date of cases shall be uploaded on the website of the concerning District at the earliest.
- (29) In order to avoid physical contact, the drop box system to receive applications / petitions etc. in the Court for which filing counter is not provided, be adopted by respective Courts, in such matters the party concern / his advocate shall mention his e-mail ID and mobile number on applications / petitions etc.
- (30) The Advocates shall carry their own case file and once the matter is over, learned Advocate/litigants shall immediately leave the court room.

- (31) As Government advisory has required restricted movements for persons aged 65 years and above, learned Advocates / Senior Advocates aged 65 years and above are requested to exercise due caution / avoid physical appearance in the Courts.
- (32) A Committee of one Senior Judicial Officer, President of Bar Association or the Advocate nominated by the President of Bar and Deputy Administrative Officer, wherever available / one senior court staff, shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions. The Committee shall report the District Judge.
- (33) No function or any other event shall be permitted inside the Court premises.
- (34) District & Sessions Judges are authorized to make any suitable changes according to the prevailing situation of any court in his jurisdiction for smooth functioning of courts and also for management for preventing the spread of Corona Virus in the matter of entry and sitting of the advocates, litigants etc. in court premises, under intimation to the High Court.
- (35) All the guidelines issued by the Central and State Government from time to time to prevent spread of Covid-19, shall be strictly followed.
- (36) If any advocate(s) or litigant(s) is found violating the above guidelines, the District Judge / Principal Judge shall bring it to the

notice of the Bar Council of Madhya Pradesh and respective Bar Association(s) under intimation to the High Court and may take such action as he/she deems fit and proper.

- (37) From the date of implementation of this Circular, the Units criteria shall be relaxed to 50% of the prescribed Units till further order / modification.
- (38) The Units criteria relaxed as per Circular no. A/2874, dated 03.12.2020 shall remain extended upto implementation of this Circular.

  
15.1.21  
**(RAJENDRA KUMAR VANI)**  
**REGISTRAR GENERAL**